

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक / 7197 / सां.लि / कोरोना / 2020

कवर्धा, दिनांक 03 10.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6811 दिनांक 18.09.2020 द्वारा जिले के नगर पंचायत पण्डरिया क्षेत्रांतर्गत लगातार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण नगर पंचायत, पण्डरिया (संपूर्ण क्षेत्र) को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) पण्डरिया द्वारा कोरोना संक्रमण में आई कमी के कारण नगर पंचायत, पण्डरिया (संपूर्ण क्षेत्र) को कंटेन्मेंट जोन से विमुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कंटेन्मेंट जोन की अधिसूचना को समाप्त करते हुए चिन्हित क्षेत्र को निम्नलिखित निर्देशों के साथ विमुक्त किया जाता है-

1. उक्त कंटेन्मेंट क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन किया गया है, उनके क्वारंटाईन अवधि पूर्ण होने तक उन्हें एवं उनके घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाईन में ही रहना होगा।
  2. चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शासन के नियमानुसार संचालित होंगे।
  3. सार्वजनिक पार्क / गार्डन यथावत बंद रहेंगे।
- ii. जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कंटेन्मेंट क्षेत्रों के बाहर भी सार्वजनिक स्थलों के संबंध में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7134 दिनांक 30.09.2020 के निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा, दिनांक 03 .10.2020

पृ.क्रमांक / 7198 / सां.लि / कोरोना / 2020  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को [kawardha.gov.in](http://kawardha.gov.in) में जनसामान्य के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तहसीलदार, पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री ..... कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
कबीरधाम(छ.ग.)